

न्यायोचित व उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र रवीकार किया जाकर घोषणा आश्रय की जाती है राजस्व ग्राम खुर्दीत पटवार हल्का गिडानिया तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू(राज0) में जमीन खाता संख्या 15 पुराना खाता संख्या 13 खसरा नंबर 151 व 213 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पेप सिंह पुत्र रतन सिंह के स्थान पर पेप सिंह पुत्र वन्ने सिंह दुबला किये जाने के आदेश दिया जाता है। खाते के शेष इन्दाजात यथावत रहेंगे। तहदनुसार तहसीलदार चिडावा राजस्व रिकार्ड में अनन्त दरामद करें। पत्रावली फ़ैशल शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़तर हों।

(डा0 नरेश शर्मा)

उपखंड अधिकारी चिडावा

उपखण्ड अधिकारी चिडावा

यह निर्णय आज दिनांक 15-11-20 को मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा0 नरेश शर्मा)

उपखंड अधिकारी चिडावा

उपखण्ड अधिकारी चिडावा